

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 17/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2017

का.आ. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्न सारणी के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के संबंध में, उक्त कारण बताओ नोटिस से संबंधित न्यायनिर्णयन के प्रयोजन हेतु, उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, यथा: -

सारणी

क्र.सं.	नोटिसी का नाम और पता	कारण बताओ नोटिस की सं. और तारीख	के प्रति उत्तरदायी	नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स फूलचंद एंड सन्स 3, अंगेरीपलयम रोड, तिरुपुर	फा.सं. INV/DGCEI/CBERU/4/2005 दिनांक 20.06.2006	i. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, तूतिकोरिन ii. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुम्बई iii. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई	उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, तूतिकोरिन

[फा.सं. 437/02/2017-सीमा शुल्क-IV]

(जेड. आर. कामिली)
निदेशक (सीमा शुल्क)